संख्या-210/2023/1476/41-2023-73(बजट)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 2023**

विषयः- जनपद चित्रकूट में स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम लालापुर के निकट पर्यटक सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु उच्च विशिष्टियों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8293/6-1-1(1514)/2022-23 दिनांक 03.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद चित्रकूट में स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम लालापुर के निकट पर्यटक सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु उच्च विशिष्टियों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जनपद चित्रकूट में स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम लालापुर के निकट पर्यटक सुविधा केन्द्र की स्थापना कार्य हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लागत रू0 1423.31 लाख के गठित आगणन के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0 1299.29 लाख आंकलित की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1299.29 लाख में से उच्च विशिष्टियों के कार्य हेतु प्रस्तावित लागत रू0 141.23 लाख है। प्रायोजना में उच्च विशिष्टियों के कार्य जैसेः- म्यूरल वर्क, ग्रेनाईट स्टोन फ्लोरिंग, कास्ट सैण्ड स्टोन पाथवे, ग्रेनाईट कोबल पाथवे, फाल्स सीलिंग, पी**0**वी**0**सी**0** लैमिनेटेड, जी**0**आई मेटल सिलिंग, कास्ट ऑफ साइनेज़ तथा सप्लाई और इंस्टालेशन ऑफ फाउन्टेन आदि जैसे कार्य कराये जाने हेतु रू0 141.23 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

3. उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट में स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम लालापुर के निकट पर्यटक सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु उच्च विशिष्टियों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 16.03.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) जनपद चित्रकूट में स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम लालापुर के निकट पर्यटक सुविधा केन्द्र के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के कार्य रू0 141.23 लाख में कराया जाना है जिसमें म्यूरल वर्क, ग्रेनाईट स्टोन फ्लोरिंग, कास्ट सैण्ड स्टोन पाथवे, ग्रेनाईट कोबल पाथवे, फाल्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सीलिंग, पी0वी0सी0 लैमिनेटेड, जी0आई मेटल सिलिंग, कास्ट ऑफ साइनेज़ तथा सप्लाई और इंस्टालेशन ऑफ फाउन्टेन आदि कार्य कराया जाना है।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

4. जनपद चित्रकूट में स्थित महर्षि बाल्मीकि आश्रम लालापुर के निकट पर्यटक सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु उच्च विशिष्टियों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्त एवं प्रतिबंध का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा:-

''प्रायोजनान्तर्गत उक्त उच्च विशिष्टियों के कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।''

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
7- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
8- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in